राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामसर जिला बाड़मेर

क्रमांक /राजस्व/2025/219 दिनांक :- 27.01.2025 27/1/2025

:आदेश:

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 130,131,132,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित नियम 58,59,60,66,86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 मौजा मेकरनवाला के खातेदारी खसरा नंबर क्रमश: 229/137,231/139,232/139,242/139, व ग्राम नांगे का पार के खसरा नंबर 16, व 17 किस्म बा.सो. में एक (बारहमासी रास्ता) चल रहा है परन्तु राजस्व अभिलेख एंव राजस्व नक्शे में उक्त रास्ते का कही भी अंकन नही है। उक्त रास्तें का राजस्व रेकर्ड में अंकन संलग्न दर्शाये अनुसार ए एंव बी अनुसार राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक प.3(2)राज– 6/2003/परि/04 जयपुर दिनांक 10.08.2016 के परिप्रेक्ष्य में निम्नानुसार प्रस्तावित किया गया है।

क्र.स.	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टयर में	किस्म	रास्ते में प्रभावित भूमि रकबा हेक्टेयर में	रास्ता अंकन के बाद शेष खसरें का रकबा हेक्टेयर में
1	मेकरनवाला	229/137	7.5190	बा.दो.	0.2368	7.2822
2	मेकरनवाला	231/139	6.7501	बा.सो.	0.2639	6.4862
3	मेकरनवाला	232/139	0.1781	बा.सो.	0.0081	0.1700
4	मेकरनवाला	242/139	2.0720	बा.सो.	0.1820	1.8900
5	नांगे का पार	16	6.0379	बा.सो.	0.1700	5.8679
6	नांगे का पार	17	2.4362	बा.सो.	0.1167	2.3195

तहसीलदार रामसर द्वारा प्रस्तावित मौके पर स्थाई रूप सेचल रहे कदीमी/ बारहमासी रासता जो हर मौसम /सीजन के अनुसारबदलता नही है एंव वर्ष भर आमजन के आवागमन हेतु उपलब्ध रहता है।जो वर्तमान में चालू हैं तथा प्रस्तावित भूमि वर्तमान में रास्ते में उपयोग में ली जा रही है। अत: तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित उपरोक्तानुसार प्रस्ताव संलग्न नक्शे में ए से बी तक निजि खातेदारी भूमि में से चालू स्थाई रास्ता संबधित खातेदार की खातेदारी रखते हुये नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा दिया जाकर संलग्न नक्शे में ए से बी तक रास्ते के रकबे सहित किस्म गेरमुमकिन रास्ता दर्ज करनें के आदेश दिये जाते है।

अत: तहसीलदार रामसर को आदेशित किया जाता हैकि उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी रामसर

क्रमांक /राजस्व/2025/220-21 दिनांक :- 27/1/2025

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार रामसर।
2. पटवारी हल्का भीण्डे का पार।

उपखण्ड अधिकारीरामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर